

5

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 38 / 2017

मुकन्द सिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़  
-----वादीया

बनाम

मुखत्यारो पुत्री अमरसिंह पत्नी आशाराम जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी  
हाल आबाद शेरूवाला तहसील कोलायात जिला बीकानेर

-----प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष  
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री, विकास शर्मा, वकील वादी  
मिन जामिन मुदई श्री कुन्दनलाल, प्रतिवादीया मिन जानिब मुदायला पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है वाद वादी स्वीकार किया  
जाता है कि वादी चक नम्बर 7 एस.बी.एन. के खाता संख्या- 108/58 में  
अंकित कुल 3.036 है0 में प्रतिवादीया मुखत्यारों पुत्री अमर सिंह जाति बावरी  
निवासी गुड़िया के नाम अंकित 1/6 हिस्सा (0.506 है0) तथा चक नम्बर 2  
एम.के.एस. बी के खाता संख्या-35/4 में अंकित कुल भूमि 2.669 है0 में  
प्रतिवादीया की 0.506 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा  
प्रतिवादीया मुखत्यारो पुत्री अमर सिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया का नाम  
कलमजन होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें  
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  
अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 04-09-2017 को 10 खुले  
न्यायालय में जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
दिल्ली